

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला अजमेर
(पीठासीन अधिकारी भावना गग्गी)

आर.ए.एस

प्रकरण सं./वाद पत्र/एल.आर./22/2019

1. श्री मांगीलाल पुत्र श्री चम्पालाल, जाति जाट निवासी ग्राम सिंगावल तहसील भिनाय जिला अजमेर (प्रार्थी)

बनाम

1. श्रीमति गणपति पत्नि श्री चम्पालाल जाति जाट
2. श्री रघुवीर पुत्र श्री चम्पालाल जाति जाट
3. श्रीमति मनभर पुत्री श्री चम्पालाल जाति जाट समस्त निवासीयान ग्राम सिंगावल तहसील भिनाय जिला अजमेर
4. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार महोदय, तहसील भिनाय

अप्रार्थीगण

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम

उपस्थित :- 1. वकील प्रार्थी श्री धर्मवीर बामनिया

निर्णय दिनांक 08.05.2019

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि मौजा सिंगावल पटवार हल्का सिंगावल, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सिंगावल के खसरा नं. 116 रकबा 0.04, 117 रकबा 0.04, 118 रकबा 0.22, 118/3897 रकबा 0.01 किता 4 रकबा 0.31 हैं 0 किस्म बरानी-3 जो कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 प्रार्थी की कब्जे काश्त भूमि पर नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी सं. 4 जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने पर कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 नोटिस तामिली बावजूद उपस्थित न होने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पैरोकार सरकार उपस्थित। पैरोकार सरकार ने जवाब पत्र प्रस्तुत न करते हुए सीधे बहस किए जाने का निवेदन किया। दौराने बहस प्रार्थना पत्र पैरा सं. 1 मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड स्वीकार किया हैं। पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी प्रार्थीगण की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया। प्रार्थना पत्र वास्ते पत्थरगढी का न्यायोचित होना पाया गया। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर मौजा सिंगावल पटवार हल्का सिंगावल, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सिंगावल के खसरा नं. 116 रकबा 0.04, 117 रकबा 0.04, 118 रकबा 0.22, 118/3897 रकबा 0.01 किता 4 रकबा 0.31 हैं 0 किस्म बरानी-3 प्रार्थीगण की खातेदारी होने से भू-अभिलेख निरीक्षक- सिंगावल को 1,500/-रूपये (अक्षरे- एक हजार पाँच सौ रु0 मात्र) फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढी से कम से कम तीन दिन पूर्व समस्त हितबद्ध पडौसी एवं खातेदारान को उक्त आराजीयात की पत्थरगढी की लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथी बाबत सूचित करेगें तथा मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामिल तकमील होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 08.05.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

(भावना गग्गी)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय जिला अजमेर
भिनाय (अजमेर)

